न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/448
मिसलनम्बर–118/2024

1. सईदा बानो पुत्री हसन खां पत्नी मोहम्मद खां मृतक जरिये कायम मुकामान –
   1/1 अब्दुल अजीज पुत्र मोहम्मद खां
   1/2 गुलशेर अली पुत्र मोहम्मद खां निवासीगण ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
   1/3 अब्दुल रहीम पुत्र मोहम्मद खां निवासी अमृत नगर बोरखेड़ा कोटा
   1/4 मन्सूब अली पुत्र मोहम्मद खां
   1/5 यूसूफ अली पुत्र मोहम्मद खां
   1/6 मदीना बानो पुत्री मोहम्मद खां निवासी चाकसू जिला जयपुर राज0
   1/7 मोसीना बानो पुत्री मोहम्मद खां निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
   1/8 शहनाज बानो पुत्री मोहम्मद खां निवासीनी जहाजपुरा जिला भीलवाडा राज0
2. नूर बानो पुत्री हसन खां पत्नी सुभान खां मृतक जरिये कायम मुकाम रईस मोहम्मद पुत्र सुभान खां निवासी केशोरायपाटन जिला बून्दी राजस्थान जर्ये मुख्तार तोफिक अहमद आत्मज श्री मोहम्मद हनीफ निवासी उमर पंतग भण्डार सती चबूतरा मकबरा कोटा राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. अजीज खां
2. हकीम खां
3. जमील खां
   पिसरान हसन खां जाति मुसलमान निवासीगण कालातालाब उर्फ रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. प्रभु सिंह आत्मज स्व0 श्री श्योराम
5. मुलकराज सिंह पुत्र श्योराम
6. शक्ति सिंह पुत्र श्योराम
   निवासी कालातालाब उर्फ रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. हीरा सिंह मृतक जरिये कायम मुकामान
   7/1 महेन्द्र सिंह
   7/2 सुरेन्द्र सिंह मृतक जरिये कायम मुकामान
   7/2/1 शीला कंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

7/2/2 वर्षा कुमारी पुत्री सुरेन्द्र सिंह
7/2/3 विनय प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह
नाबालिक जरिये वली माता शीला कंवर
7/2/4 सुमेर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह नाबालिक जरिये वली माता शीला कंवर
निवासीगण रंगतालाब उर्फ कालातालाब कोटा
7/3 विरेन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह
7/4 राधा बाई पुत्री हीरा सिंह
7/5 रूकमणी पुत्री हीरा सिंह
7/6 कुन्ता बाई पुत्री हीरा सिंह
7/7 सोहनी बाई पत्नि हीरासिंह निवासीगण रंगतालाब उर्फ कालातालाब कोटा

8. महेन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह
9. सुरेन्द्र सिंह मृतक उक्त कायम मुकामान
10. विरेन्द्र सिंह आत्मज हीरा सिंह
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

—अप्रार्थीगण

—:निर्णय:—

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 31/1/25

उपस्थितिः—

1.श्री वीरेन्द्र कुमार राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2.श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थीगण 7/1, 7/3

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना—पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 3 ने माननीय न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 3, 188 रा.टी.एक्ट. के बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में आराजी खसरा नम्बर 343/56 रकबा 21 बीघा तथा खसरा नम्बर 235/117 की 15 बीघा कुल किता 02 रकबा 36 बीघा आराजी संवत् 2001 से 2004 तक हसना बेटा जमाल खां के नाम दर्ज थी, उक्त आराजी के प्रथम सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 199 रकबा 21 बीघा तथा 330 रकबा 15 बीघा यह दोनो खसरा नम्बर हसन खां के कब्जे काश्त में रहें। उक्त आराजीयात के सेटलमेंट 2038 से 2057 में नये खसरा नम्बर 330, 510, 511, 550 बनाये गये, तथा सेटलमेन्ट द्वारा दो बीघा भूमि कम कर दी गई, जब तक हसन खां जिन्दा रहे तब तक इस आराजीयात् पर काश्त करते रहे इनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र नौकरी के संबंध में इधर उधर रहे, और आराजीयात् पर ध्यान नही दिया इस दौरान

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिवादीगण 01 लगायत 07 ने आपस में मिलकर उक्त आराजीयात सेटलमेन्ट में अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि सेटलमेंन्ट को नाम परिवर्तित करने का कोई कानूनी हक नही हैं, अतः खाते से प्रतिवादी क्रमांक 01 से 07 का नाम हटाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 08 व 09 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें। उक्त वाद में प्रार्थीगण ने काउन्टर क्लेम पेश किया कि लेण्ड रिकॉम एण्ड रिजमशन ऑफ जागीर एक्ट की धारा 9 के अनुसार जागीर रिज्यूम होने पर तत्कालीन खातेदारो को खातेदारी अधिकार प्राप्त थें। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार उक्त अधिनियम प्रभावी होने पर तत्कालीन खातेदारो को खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थीगण के पिता हसन जागीर अधिनियम 1952 एवं काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावी होने के पूर्व से ही खातेदार चले आ रहे थे। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 10 ने सेटलमेन्ट अधिकारी से मिलीभगत कर प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 10 के नाम गलत रूप से खाते दर्ज की गई। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 व प्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी हैं, तथा उक्त आराजी का मीट्स एण्ड बाउन्स के अनुसार विभाजन एवं इन्द्राज दुरूस्ती कराकर खातेदार घोषित कराने के अधिकारी हैं। लेण्ड रिफॉर्म एवं रिजम्शन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के प्रभावी होने के पश्चात निजाम एवं निजामत एवं माफी जप्त करने का कोई अधिकार नही था। हक्म मेख्मा खास निजामत के अधिकार समाप्त हो चुके थे, जागीर अधिनियम प्रभावी होने के पश्चात् जो भी खातेदार चला आ रहा था, वह उक्त आराजी का मालिक हैं। जागीर समाप्त होने के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। आदेश महकमा अधिकारहीन हैं, महकमा खास को ऐसा कोई आदेश पारित करने का अधिकार नही था। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 3 का वाद ऑर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. में खारिज हो गया हैं। जागीर अधिनियम के अनुसार जागीर रिज्यूम होने पर तत्कालीन खातेदार को खातेदारी अधिकार प्राप्त थें, जागीर अधिनियम 1952 एवं काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावी होने से पूर्व से ही हसन खां खातेदार चले आ रहे थें, जागीर अधिनियम 1952 प्रभाव में आने के पश्चात् निजाम एवं निजामात के अधिकार समाप्त हो गये थें, जागीर अधिनियम 1952 के पश्चात उक्त महकमा खास निजामत ने हसन खां के खातेदारी अधिकार को यह कहते हुये खारिज करना बताया कि हसन खान ने चौकीदारी का कार्य छोड़ दिया था, इसलिये श्योराम आत्मज श्री रामचन्द्र को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे, जबकि निजामात खास को जागीर अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने के पश्चात् खातेदारी बदलने का अधिकार नही था, उक्त वाद ऑर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. में खारिज होने के पश्चात् अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 7 उक्त आराजी को खुर्द– बुर्द करने एवं उस पर आवासीय कोलोनी विकसित करने, भूखण्डो में विभक्त करने एवं उसका किस्म परिवर्तन करने पर आमादा हैं। जिनका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। उक्त आराजी दौराने वाद खुर्द बुर्द होने पर वाद की विषयवस्तु समाप्त हो जायेगी, तथा प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होंगी। जिसकी पुर्ति किसी भी रूप में संभव नही हैं। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस हैं, तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी क्रम 4 लगायत 10 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में स्थित आराजी खसरा नम्बर 309, 330, 510, 511, 550 को कही भी रहन, बैय, हिब्बा, खुर्द–बुर्द, अन्तरण किस्म परिवर्तन नही करें, तथा अप्रार्थी क्रम 11

अधिकारी ★ उपखण्ड

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नही करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी हो, वह भी प्रार्थीगण को दिलवाई जावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये।

प्रार्थीगण की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत बहस की गई।

अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है।

1.क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2.क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3.प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

इनको सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर होता है। वह शपथपत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रस्तुत प्रकरण से सम्बंधित वाद पत्रावली के अवलोकन से हम पाते है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 खारिज किया जा चुका है। उक्त पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त पत्रावली में वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ रामचन्द्र बेटा ग्यारसिया जाति नायक के खाते की जमाबंदी संवत् 1993 लगायत 1996 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। जिसमें बजाये रामचन्द्र के गुलाब बेटा जमाल खां के दाखिल खारिज का इन्द्राज हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि रामचन्द्र द्वारा चौकीदारी का कार्य बंद कर दिया गया था, इस कारण बजाये रामचन्द्र गुलाब का दाखिल खारिज मंजूर हुआ तथा जमाबंदी में गुलाब का नाम बतौर खातेदार अंकित किया गया। रामचन्द्र द्वारा माफी चौकीदारी का कार्य बंद कर दिया गया था और गुलाब का नाम बतौर खातेदार अंकित किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 1997 लगायत 2000 में बजाय गुलाब के हुसैना का दाखिल खारिज मंजूर हुआ अर्थात् गुलाब के बाद हुसैना चौकीदारी सासंरीगिरी का कार्य करने लगा। हसन खां के बाद से हुसैना उर्फ हसन खां द्वारा भी चौकीदारी से इन्कार करने पर श्योराम द्वारा चौकीदारी का कार्य किया जाने लगा जिसकी पुष्टि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी की प्रतिलिपियों से होती है। श्योराम को भूमि विलेज सर्वेन्ट के रूप में प्राप्त हुई थी, संवत् 2016 से 2024 में श्योराम के नाम भूमि दर्ज हो जाने उपरान्त भी लगभग 60 वर्षों तक प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। प्रार्थीगण अपने पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में केवल मात्र एक प्रविष्टि जो विपेज सर्वेन्ट के रूप में की गई थी तथा जिसमें कोई वंशानुगत अधिकार प्राप्त नही था के आधार पर न्यायालय में उपस्थित हुए है। जो न्यायोचित नही है। जिस कारण से प्रथम दृष्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है।

क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है?

ज्ञातव्य है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिये उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थी उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई भी ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे विवादाग्रस्त पर प्रार्थीगण का कब्जा प्रमाणित हो। इस कारण प्रार्थीगण विवादित

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आराजी पर काबिज काश्त नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही पाया जाता है।

क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

चूंकि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है जिस कारण से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नही होता है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहां इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तो मात्र सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर ही विचार किया जा रहा है जो कि प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने से तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 31/1/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा